


न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...1.6.6... / 2023

आवेदिका श्रीमती इन्द्रा देवी, पति-सुदर्शन प्रसाद यादव, साकिन-गझण्डी, पोस्ट-गझण्डी, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि विवरण की भूमि का बिक्री करने के लिए सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
गुमो	12	580	1190	08 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...12 / ...0.9... / 2023 को प्रस्तुत करें।



05/09/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-580, प्लॉट सं०-1190, रकबा-20 डी० भूमि श्रीमती इन्द्रा देवी, पति-सुदर्शन प्रसाद यादव के नाम से पंजी-11 के पृष्ठ सं०-172 भाग सं०-28 पर जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-149/2006-07 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-4320 दिनांक-14.08.2006 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2023-24 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-301 दिनांक-03.07.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


12/09/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा